<u>कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश</u>

उपस्थित	**श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री बजरंगबली इन्डस्ट्रीज, 18, गर्वमेन्ट इन्डस्ट्रीयल स्टेट, कालपी रोड, कानपुर।**
प्रार्थना पत्र संख्या	**30 / 11**
प्रार्थी की ओर से	**श्री प्रदीप अग्रवाल, अधिवक्ता।**

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय</u>

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-30 / 11, दिनांक 15.04.11 प्रस्तुत किया गया है जिसके माध्यम से **ऐसे जूतों व चप्पल जिसमें अपर other than plastic material का होता है**, पर कर की दर जाननी चाही गयी है ?

2. फर्म की ओर से श्री प्रदीप अग्रवाल, अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा बताया गया कि वह डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण) वाणिज्य कर, खण्ड-28 में पंजीकृत है तथा उनका टिन नम्बर-09945700036 है। उनके द्वारा पी0 वी0 सी0 दाना, इवा, एल0 डी0 दाना तथा रबर में विभिन्न प्रकार के केमिकल मिलाते हुए रबर सीट एवं प्लास्टिक सीट तैयार करके उससे सोल का निर्माण करते हैं एवं इस पर विभिन्न प्रकार के अपर फिक्स करके जूते एवं चप्पलों का निर्माण किया जाता है। जूते / सैन्डिल के ऊपरी भाग में रैक्सीन, कपड़े, निवाड़, चमड़े आदि के अपर को बनाकर लगाया जाता है। इस प्रकार चप्पल में रैक्सीन, निवाड़, कपड़ा आदि के स्ट्रेप्स को सोल पर ऐडेसिव से चिपका दिया जाता है या सिलाई कर दी जाती है। बताया कि उनके अनुसार जिन फुटवियर के अपर व लोवर दोनों प्लास्टिक के होते हैं वही प्लास्टिक फुटवियर कहलाते हैं, परन्तु यदि अपर कैनवास / चमड़ा / रैक्सीन / सिन्थेटिक कपड़े का हो तो उसे प्लास्टिक जूता नहीं कहा जा सकता।

3. उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या-52 निम्नवत् है :-

52	Footwear with maximum retail price of rupees three hundred or less excluding plastic footwear; hawai chappal and straps thereof (*vide Noti.no.-KA.NI-2-421/XI-9(1)/08-U.P. Act-5-2008-Order (71)-2011, Dated March, 31, 2011* से प्रभावी

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क प्रविष्टि संख्या-83 निम्नवत् है :-

83	Plastic footwear; hawai chappal and straps thereof (*vide Noti.no.-KA.NI-2-421/XI-9(1)/08-U.P. Act-5-2008-Order (71)-2011, Dated March, 31, 2011* से प्रभावी

......2

4. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र, पत्रावली आदि का परिशीलन एवं व्यापारी द्वारा प्रस्तुत सैम्पल का परीक्षण किया गया। पाया गया कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-क की प्रविष्टि संख्या-83 के अन्तर्गत सोल व अपर दोनों प्लास्टिक के होने पर ही वह प्लास्टिक फुटवियर कहलायेगा तथा यदि अपर प्लास्टिक के अतिरिक्त किसी अन्य मैटेरियल का बना होगा तो ऐसे जूते व चप्पल प्लास्टिक फुटवियर के अन्तर्गत नहीं आयेंगे। अतः **प्लास्टिक मैटैरियल से भिन्न मैटेरियल से बने अपर के जूते एवं चप्पल** (हवाई चप्पल एवं स्ट्रेप्स के अतिरिक्त) **होने पर** (उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या-52 के अन्तर्गत आने वाले जूते व चप्पल के अतिरिक्त) उन जूते एवं चप्पलों पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% (अतिरिक्त कर अतिरिक्त) की दर से करदेयता निर्धारित की जाती है।

5. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 28 मई, 2011

ह0 / 28.05.2011

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश ,लखनऊ।